

**छत्तीसगढ़ शासन**  
**वित्त विभाग**  
**मंत्रालय**  
**महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर**

—0—  
// आदेश //

नवा रायपुर, दिनांक-२४/०२/२०२२


क्रमांक-११/१२७८/२०२१/स्था./चार :: राज्य शासन एतद्वारा छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा के निम्नलिखित ज्येष्ठ संपरीक्षक को सहायक संचालक के पद पर वेतनमान वेतन मैट्रिक्स लेवल-१२ में पदोन्नत करते हुए अस्थाई रूप से उनके नाम के सम्मुख कॉलम-४ में दर्शाये अनुसार पदस्थ करता है :-

स.क्र.	अधिकारी का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
१	२	३	४
१.	श्री अतीश कुमार मारकण्डेय, ज्येष्ठ संपरीक्षक	छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा, क्षेत्रीय कार्यालय राजनांदगांव	सहायक संचालक, संचालनालय छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर
२.	श्री कदम सिंह सिदार, ज्येष्ठ संपरीक्षक	छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर	सहायक संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा, क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर-II
३.	श्री अमरजीत भगत, ज्येष्ठ संपरीक्षक	छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा, क्षेत्रीय कार्यालय अंबिकापुर	सहायक संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा, क्षेत्रीय कार्यालय, अंबिकापुर
४	सुश्री गुपेश्वरी भूआर्य, ज्येष्ठ संपरीक्षक	छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा, क्षेत्रीय कार्यालय राजनांदगांव	सहायक संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा, क्षेत्रीय कार्यालय, दुर्ग
५	श्री एन.के. सतपथी, ज्येष्ठ संपरीक्षक	छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा, क्षेत्रीय कार्यालय रायगढ़	सहायक संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा, क्षेत्रीय कार्यालय, रायगढ़
६	श्री कमलेश्वर राम, ज्येष्ठ संपरीक्षक	छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा, क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर	सहायक संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा, क्षेत्रीय कार्यालय, बिलासपुर
७	श्री वेदसिंह मरकाम, ज्येष्ठ संपरीक्षक	छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा, क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर	सहायक संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा, क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर-II

२/ राज्य शासन एतद्वारा श्री दिनेश कुमार, सहायक संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा, क्षेत्रीय कार्यालय राजनांदगांव को प्रशासनिक आधार पर सहायक संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा, क्षेत्रीय कार्यालय दुर्ग में अस्थाई रूप से पदस्थ करता है।

3/ उक्त आदेश माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No. 91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & another एवं W.P. (S) No. 9778/2019 Vishnu Prasanna Tiwari Versus State of Chhattisgarh में पारित अंतिम आदेश के अध्याधीन होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

  
(शांता खरे)  
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग


पृ.क्र.२५२/1278/2021/स्था./चार,

नवा रायपुर, दिनांक २८/०२/२०२२

प्रतिलिपि :-

01. अपर मुख्य सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय/वित्त विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
02. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
03. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर
04. संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर
05. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, नवा रायपुर अटल नगर को वित्त विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
06. समस्त संभागीय आयुक्त, छत्तीसगढ़
07. समस्त संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़
08. समस्त संयुक्त संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़
09. कलेक्टर, रायपुर/राजनांदगांव/अंबिकापुर/बिलासपुर/रायगढ़/दुर्ग
10. समस्त उप संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़
11. वरिष्ठ कोषालय अधिकारी/कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय रायपुर/राजनांदगांव/अंबिकापुर/बिलासपुर/रायगढ़/दुर्ग/नवा रायपुर
12. संबंधित अधिकारी .....
13. आदेश फोल्डर हेतु

----- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित

  
अवर सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग